समाचार.प्रकाषनार्थरू.

कचरे से पटे रिक्त भूखण्ड स्वामियों को आज से जुर्माने का होगा नोटिस जारी

रतलाम 21 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे रिक्त भूखण्ड जो कि कचरे से पटे होकर अस्थाई कचरा स्थल बने हुए है ऐसे भूखण्ड स्वामियों को 10.10 हजार की राषि जुर्माने के तौर पर भरने का नोटिस जारी करने के निर्देष निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण के कार्य में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री सत्यप्रकाष आचार्य को निर्देषित किया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे रिक्त भूखण्ड जो कि कचरे से पटे होकर अस्थाई कचरा स्थल बने हुए है ऐसे भूखण्ड स्वामियों को 10.10 हजार की राषि जुर्माने के तौर पर भरने का नोटिस 22 फरवरी से जारी कर जुर्माना राषि नगर निगम के संपत्तिकरए जलकर व स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाखा में जमा करवाये जाये।

बैठक में उन्होने निर्देषित किया कि रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेª ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने हेतु निर्माणकर्ताए विक्रयकर्ता का प्रथम दिवस जुर्माने की कार्यवाही कर निर्माण व

विक्रय प्रतिबंध किये जाने हेतु निर्देषित किया जाये इसके बाद निर्माण एवं विक्रय करता पाये जाने पर फेक्ट्री व दुकान सील करने की कार्यवाही की जाये।

खुले में यूरिन व षौच करने वालो पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी झोन प्रभारियों को निर्देषित किया कि अपने झोन में सतत् निगरानी रखी जाकर खुले में यूरिन व षौच करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए **कार्यपालन यंत्री सुरेषचन्द्र व्यास**ए **प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री सत्यप्रकाष आचार्य**ए **सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनी**ए **श्री एम**ण**के**ण **जैन**ए **श्री अनवर कुरेषी**ए **सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए**ण**पी**ण **सिंह**ए **निज सहायक श्री सुभाश गोयल**ए **उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित**ए **बी**ण**एल**ण **चौधरी**ए **ब्रजेष कुषवाह**ए **मनीश तिवारी**ए **सुश्री दीक्षा निजामपुरकर सहित झोन प्रभारी**ए **नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।**

नगर निगम के विभिन्न करों से 33ण72 **लाख हुआ राजस्व प्राप्त**

रतलाम 21 **फरवरी । संपत्तिकर**ए **जलकर**ए **लायसेंस**ए **राजस्व**ए **विकास षाखा**ए **बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत** 19 **फरवरी षनिवार को कुल राषि रूपये** 33ए72ए548ध् **का राजस्व प्राप्त हुआ।**

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 21 **फरवरी सोमवार को संपत्तिकर षिविर से** 190734ए **कार्यालय** 341815ए **वसूली दल** 406000 **कुल** 938549ए **जलकर षिविर** 57870ए **कार्यालय** 62620ए **वसूली दल** 91430 **कुल** 211920ए **दुकान गुमटी किराया कार्यालय** 2664 **वसूली दल** 93423 **कुल** 96027ए **लीजरेंट** 41144ए **कम्पाउडिंग** 2069198 **व स्पॉट फाईन** 15650 **इस तरह कुल राषि रूपये** 33ए72ए548ध् **का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।**

20 **फरवरी को** 87 **टन कचरा जुलवानिया पंहूचा**

रतलाम 21 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 21 फरवरी सोमवार को 87 टन कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

21 फरवरी सोमवार को डम्पर से 25600ए टेª क्टर से 17955ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 18680ए काम्पेक्टर गीला कचरा 21170ए मैजिक सूखा कचरा 18680 व मैजिक गीला कचरा 2025 किलो इस तरह कुल 87285 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

12 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 21 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 11 व दोपहर में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

21 फरवरी सोमवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में षांतिबाई पति सुरेषए सुनील.षंकरलालए पुश्पाबाई पति प्रहलादए उमेष.

प्रहलादए सचिन.रामसेवकए विक्की.दिनेषए अनिताबाई पति ईष्वरए झोन 2 में मीनाबाई पति दिनेष। दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 2 में षीलाबाई पति राधेष्याम इस तरह 12 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 21 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेªए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें
रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही
रतलाम 21 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेªषन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000ध्. एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500ध्. प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100ध्. रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

बजाजखाना पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर
नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन
नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 83ण्32 लाख व जलकर 20ण्75 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 21 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।
आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।
निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822ध्. व जलकर 54ए850ध्.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575ध्. व जलकर 34ए520ध्.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013ध्. व जलकर 63ए450ध्.ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292ध्. व जलकर 1ए19ए720ध्.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857ध्. व जलकर 62ए950ध्.ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977ध्. व जलकर 28ए870ध्.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000ध्. व जलकर 14ए000ध्.ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600ध्. व जलकर 1ए04ए640ध्.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206ध्. व जलकर 1ए21ए090ध्.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में

संपत्तिकर 2ए14ए000ध **व जलकर** 47ए000ध.ए **डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए54ए422ध **व जलकर** 83ए700ध.ए **हाट रोड षिविर में संपत्तिकर** 1ए71ए500ध **व जलकर** 27ए540ध.ए **कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 1ए96ए281ध **व जलकर** 40ए240ध.ए **राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए45ए000ध **व जलकर** 31ए760ध.ए **काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर** 3ए36ए077ध **व जलकर** 72ए440ध.ए **वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 98ए534ध **व जलकर** 37ए465ध.ए **कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर** 87ए732ध **व जलकर** 36ए660ध.ए **दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए91ए455ध **व जलकर** 92ए125ध.ए **बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर** 4ए97ए298ध **व जलकर** 64ए770ध.ए **रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर** 1ए59ए241ध **व जलकर** 28ए140ध.ए **लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर** 6ए11ए920ध **व जलकर** 1ए56ए600ध.ए **धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर** 3ए60ए338ध **व जलकर** 1ए67ए280ध.ए **किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर** 3ए89ए541ध **व जलकर** 76ए625ध.ए **आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 1ए20ए807ध **व जलकर** 37ए520ध.ए **प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए91ए836ध **व जलकर** 72ए860ध.ए **महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर** 87ए741ध **व जलकर** 37ए140ध **पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर** 2ए81ए036ध **व जलकर** 89ए570ध.ए **चौगानिया भैरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर** 91ए157ध **व जलकर** 46ए510ध.ए **सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर** 1ए62ए036ध **व जलकर** 1ए05ए060ध.ए **चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर** 5ए20ए421ध **व जलकर** 1ए62ए610ध.ए **बजाजखाना षिविर में संपत्तिकर** 1ए90ए734ध **व जलकर** 57ए870ध **की राषि जमा कराई।**

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 41 **के लिये** 22 **फरवरी को बजाजखाना गणेष देवरी**ए **वार्ड क्रमांक** 33ए 34 **व** 35 **के लिये** 23 **व** 24 **फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास**ए **वार्ड क्रमांक** 33 **व** 34 **के लिये** 25ए 26 **व** 28 **फरवरी को दो बत्ती चौराहा**ए **वार्ड क्रमांक** 30ए 31ए 32 **व** 34 **के लिये** 1 **से** 3 **मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।**

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

28 फरवरी तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 21 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 21 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 205◌ हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 21 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ

झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 21 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक

कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें

यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जणसंणविणध्हेमन्तध्21ण02ण2022ध्नणपाणनिगमए रतलामण